संख्या-34/2017/1496/35-3-2017-1(51)/2015

प्रेषक,

नीना शर्मा,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला रजिस्ट्रार नागरिकता पंजीकरण,

उत्तर प्रदेश।

(16 जनपदों-गाजियाबाद, अलीगढ, महामायानगर, हरदोई, कन्नौज, इटावा, कानपुर नगर, जालौन, बॉदा, फतेहपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, चन्दौली, कॉशीराम नगर एवं अमेठी को छोडकर)

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांक 07 नवम्बर, 2017**

विषयः राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने संबंधी कार्य में क्षेत्र से प्राप्त संशोधनों एवं नए व्यक्तियों को डेटाबेस में समाहित करने संबंधी कार्य को पूर्ण कराने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में उप महारजिस्ट्रार (नियन्त्रक अधिकारी) जनगणना कार्य निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने संबंधी कार्य में क्षेत्र से प्राप्त संशोधनों एवं नए व्यक्तियों को डेटाबेस में समाहित करने संबंधी कार्य को अभी तक आपके जनपदों में शतप्रतिशत पूर्ण नहीं हुआ है, जबकि प्रश्नगत कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूर्ण कराने के निर्देश निर्गत हैं। अभी तक 18 जनपदों में यह कार्य 99 प्रतिशत तथा 27 जनपदों में 98 प्रतिशत तथा 14 जनपदों- बुलन्दशहर, आगरा, पीलीभीत,लखनऊ, फर्रूखाबाद, कानपुर देहात, हमीरपुर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, गोण्डा, आजमगढ, बलिया, गाजीपुर एवं एटा में यह कार्य अभी 95 से 81 प्रतिशत है। जनपद- लखनऊ की कार्य प्रगति विशेष रूप से नगर निगम में अत्यन्त निरूद्ध है, जिसके कारण सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश का कार्य पूर्ण होना बाधित है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्धारित समय सीमा दिनांक 31.12.2016 तक प्रश्नगत कार्य को पूर्ण कराने संबंधी शासन के निर्देशों के उपरांत भी आपके जनपदों में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, जिसके कारण राष्ट्रीय महत्व के इस संवेदनशील कार्य को प्रदेश स्तर पर पूर्ण करने में अत्यन्त विलम्ब हो रहा है।

अस्तु अनुरोध है कि प्रश्नगत कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता पर अविलम्ब पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराते हुये अपने-अपने जनपदों में प्रश्नगत कार्य को पूर्ण किये जाने का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रमाण पत्र भी जनगणना कार्य निदेशालय एवं नियोजन विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(**नीना शर्मा**)
सचिव।

संख्या-34/2017/1496(1)/35-3-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, 2/ए मानसिंह रोड,नई दिल्ली-110011
2. समस्त संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. उप महारजिस्ट्रार (सी एण्ड टी), नियन्त्रक अधिकारी, जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश, अलीगंज, लखनऊ को उनके पत्रांक-डीडीई/डीसीओ-यूपी दिनांक 18/10/2017 के संन्दर्भ में।

5- संयुक्त निदेशक,जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

(**आर0एन0एस0 यादव**)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।